

फारम-VIII-क
भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या - 8 (4)

मेसर्स, नंदनी होम्स प्रा०लि० (वृंदावन हाईट्स) निर्देशक श्री नेयाज अहमद, पिता स्व० जफर अहमद, पता-बी. 304, साकेत प्लाजा, जमाल रोड, पटना-800001 को आवेदन सं० १३/११-११ दिनांक 07/2022 के संदर्भ में आवासीय भवन निर्माण के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के मौजा-कोल्हौरा, थाना नं० 365, खाता नं० 98, 153 खेसरा सं० 1001, 1002, रकबा-36 डी० 18 कड़ी भूमि में निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से वाणिज्य एवं आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1193.28 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके लिए किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 27.80 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ गया नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बोधगया आयोजना क्षेत्र में 0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) प्लान के अनुसार अनुमोदित नक्शा में दर्शायी गई निर्धारित उचाई 20.95 मीटर से अधिक उचाई में निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (ट) बिहार भवन उपविधि, 2014 के अंतर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
- (ठ) कोई अन्य शर्त।

६०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार
-सह-अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर गया

[illegible]